कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में बादल फटने के रूप में 15 से 17 जून 2013 के दौरान हिमालय के ऊपरी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में भारी से भारी बारिश हुई। इस अभूतपूर्व वर्षा के कारण विभिन्न स्थानों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ और जीवन और संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ। 2013 आपदा के पश्चात क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण कार्यों की निष्पादित लेखापरीक्षा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की पुनर्स्थापन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के निष्पादन में राज्य मशीनरी के प्रयासों का आंकलन करने के लिए की गयी। लेखापरीक्षा आपत्तियों का मूल्य ₹ 642.83 करोड़ है जो लेखापरीक्षित कार्यों (₹ 1,681.52) के कुल मूल्य का 38.23 *प्रतिशत* है।

₹ 6,259.84 करोड़ के एक मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज को भारत सरकार (भा स), एशियन विकास बैंक (ए वि बैं), विश्व बैंक, और उत्तराखण्ड सरकार (उ स) द्वारा वित्तपोषण के पाँच अलग-अलग स्रोतों के अन्तर्गत वित्तपोषित था- विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण (वि आ स - पु) (₹ 1,100 करोड़), केंद्र पोषित योजनायें-पुनर्निर्माण (के पो यो - पु) (₹ 2,135.41 करोड़), केंद्रीय योजना (₹ 50 करोड़), वाह्य सहायतित परियोजनायें (वा स प) (₹ 2,700 करोड़), और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ प्र नि) (₹ 274.43 करोड़)।

म और दी पु पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि, वास्तविक रूप से प्राप्त धनराशि और राज्य द्वारा व्यय की समग्र वित्तीय स्थिति नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार थी:

समग्र वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2018 को) **(*₹ करोड़ में*)**

निधि के श्रोत	अनुमोदित परिव्यय			अवमुक्त निधियाँ			व्यय
	केंद्राश	राज्यान्श	कुल	केंद्राश	राज्यान्श	कुल	
विशेष आयोजनागत सहायता	1,100.00	0	1,100.00	1,099.30	-	1,099.30	688.35
कें पो यो के अंतर्गत सहायता	1,709.03	426.38	2,135.41	215.89	567.19	783.08	718.10
केन्द्रीय योजना सहायता	50.00	0	50.00	0	-	0	0.00
राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि (90:10)	246.99	27.44	274.43	246.99	27.44	274.43	अनुपलब्ध
वाह्य सहायतित परियोजना							
ए वि बै पोषित उ आ स प (200 मिलियन यू एस $)*			1,200.00	-	-	1,141.43	1,125.38
विश्व बैंक पोषित उ आ रि प (250 मिलियन यू एस $)			1,500.00	-	-	1,319.03	1,176.44
कुल			***6,259.84***			***4,617.27***	***3,708.27***

*ऋण राशि बाद संशोधित कर 185 मिलियन यू एस $ किया गया (मई 2017)।

स्रोत: उ स के संबन्धित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ।

म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार के नौं क्षेत्रों के 2,359 कार्यों की स्वीकृत दी गयी थी; जिनमें से 1,769 कार्य (75 *प्रतिशत*) पूर्ण किये गये थे, कार्यपूर्ति की निर्धारित तिथि तक (वि आ स-पु / के पो यो - पु / ए वि बैं वित्तपोषित कार्यों के लिये 31-03-2017 और विश्व बैंक वित्तपोषित कार्यों के लिये 31-12-2017) 514 कार्य (22 *प्रतिशत*) प्रगति पर थे और शेष 76 (3 *प्रतिशत*) कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे। हालांकि, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के

दौरान पूर्ण कार्यों की स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई और मार्च 2018 में 2,066 तक पहुंची जो म और दी पु के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का 87 *प्रतिशत* थी।

इन कार्यों की स्थिति 31 मार्च 2018 के अनुसार निम्न थी:

निधि के स्रोत	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति में	अप्रारम्भ
वि आ स - पु	944	863	64	**17**
के पो यो - पु	960	840	109	**11**
ए वि बैं वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प)	172	162	10	**0**
विश्व बैंक वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प)	283	201	73	**09**
योग	***2,359***	***2,066** (87%)*	***256** (11%)*	***37** (2%)*

मुख्य तथ्य और प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निधियों का प्रबंधन

- के पो यो के लिए भा स द्वारा अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,709.03 करोड़ के सापेक्ष राज्य को केवल ₹ 215.89 करोड़ ही अवमुक्त किए गए। अनुमोदित राज्यान्श ₹ 426.38 करोड़ के सापेक्ष राज्य द्वारा ₹ 567.19 करोड़ अवमुक्त / उपभोग किए गए।

(प्रस्तर- 2.2.1)

- वि आ स - पु के अधीन भारत सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन, अन्य धामों के विकास, गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, केदारनाथ श्राईन के पुनर्स्थापन और दूरस्थ पहाड़ी जनपदों के कुछ सामरिक चुनिन्दा स्थलों पर आश्रय सह गोदाम के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 455.09 करोड़ में से सम्पूर्ण धनराशि ₹ 455.09 करोड़ निर्गत की। हालांकि, उ स ने अपना हिस्सा ₹ 69.91 करोड़ नहीं दिये और ₹ 107.92 करोड़ के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं किए। जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में पर्यटक की कई सुविधाएं और बुनियादी ढाँचे का सृजन नहीं हो सका।

(प्रस्तर- 2.2.2)

- राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने के कारण, राज्य मशीनरी म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय ₹ 246 करोड़ का लाभ उठाने में विफल रही। परिणामस्वरूप, पर्यावरण शोध एवं परीक्षण केन्द्र जिसे केन्द्रीय योजना के तहत वित्तपोषित किया जाना था, स्थापित नहीं हो सका। साथ ही, पर्यटन क्षेत्र के आधारभूत संरचना की परियोजनाएं एवं उ आ स प के अन्तर्गत हेलिपोर्टस, हैलीपैड्स, हेलिड्रोमस एवं बहुउद्देशीय आश्रय सह-गोदाम के निर्माण द्वारा राज्य की आपदा तैयारियों की परियोजनाओं को नहीं लिया जा सका।

(प्रस्तर- 2.2.3)

- ₹ 294.64 करोड़ की धनराशि, जो म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत निर्गत धनराशि (₹ 4,617.27 करोड़) की 6.38 *प्रतिशत* थी, का व्ययावर्तन अनियोजित कार्यों के निष्पादन के लिये किया गया।

(प्रस्तर- 2.2.4)

- वि आ स - पु व रा आ मो नि से संबन्धित ₹ 30.62 करोड़ की बचतें / अव्ययित अवशेष परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों / इकाईयों के पास अभी भी अवरुद्ध थे जो भारत सरकार को वापस नहीं किए गए।

(प्रस्तर- 2.2.5)

- मार्ग और सेतुओं, नागरिक उड्डयन (वाह्य सहायतित परियोजनाओं के वित्तपोषित) और बाढ़ सुरक्षा कार्यों (के पो यो - पु के तहत वित्तपोषित) के निष्पादन के ठेकों के प्रबंधन में खामियां थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ के अनुचित / अतिरिक्त / अधिक व्यय हुए थे।

(प्रस्तर- 2.2.6)

- अधिक भुगतान (₹ 1.55 करोड़), अनुबन्ध के नियम / शर्तों के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज आरोपित न किया जाना (₹ 4.25 करोड़), और बिलों से श्रम उपकर की कटौती न करने (₹ 0.16 करोड़) के कारण प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को ₹ 5.96 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर- 2.2.7)

- राज्य सरकार द्वारा वि आ स - पु निधि के अंतर्गत निर्गत ₹ 1,100 करोड़ में से अप्रयुक्त धनराशि ₹ 274.29 करोड़ को भारत सरकार को समर्पित न करने और अनुबन्ध की समय-सीमा के अनुसार ए वि बैं के ₹ 1,110 करोड़ ऋण में से ₹ 373.50 करोड़ के अप्रयुक्त रहने के कारण ₹ 19.88 करोड़ की परिहार्य योग्य ब्याज देयता बनायी गयी।

(प्रस्तर- 2.2.8)

- परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों / कार्यालयों ने वास्तविक व्यय ₹ 33.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 61.64 करोड़ राशियों के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र उ स / भा स को प्रस्तुत किए थे।

(प्रस्तर- 2.2.10)

योजना और कार्यान्वयन

कार्यों के नियोजन और निष्पादन में कमियों पर क्षेत्रवार लेखापरीक्षा आपत्तियां नीचे उल्लेखित हैं:

मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग

मार्ग राज्य की जीवनरेखा हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 90 *प्रतिशत* यात्री और सामान का आवागमन मार्ग से होता है। आपदा से लगभग 8,908.78 किमी सड़कें, 85 मोटर सेतु, 140 पैदल सेतु; और लगभग 4,200 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अपने

प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भारत सरकार से ₹ 3,456.80 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज के अन्तर्गत ₹ 2,108.49 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित हुआ था। वि आ स - पु, उ आ स प और उ आ रि प के अन्तर्गत 7,290 किमी मार्ग और 170 सेतु आच्छादित किये जाने थे।

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- म और दी पु पैकेज केवल उन कार्यों के लिए था जो 2013 की आपदा से संबन्धित थे। हालांकि, वि आ स - पु की 525 मार्ग और सेतु की अनुमोदित सूची में, ऐसे 119 मार्ग कार्य और 14 सेतु शामिल थे, जिनकी लागत ₹ 96.08 करोड़ थी जो जून 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं थे।

(प्रस्तर- 3.2.1.1)

- ₹ 37.99 करोड़ की लागत के 73 मार्ग कार्य जो वि आ स - पु की स्वीकृत सूची में शामिल थे, वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के अन्तर्गत भी शामिल थे जिन्हें ₹ 1.25 करोड़ व्यय के बाद रद्द कर दिया गया था। रद्द किये गये कार्यों के स्थान पर और वि आ स - पु के अन्य कार्यों की बचत को समायोजित करने के लिए, वि आ स - पु के अन्तर्गत भा स की स्वीकृत के बिना ₹ 72.05 करोड़ के 123 कार्यों (117 मार्ग और 6 सेतुओं) की स्वीकृति बाद में (2015 और 2016) दी गयी।

(प्रस्तर- 3.2.1.1)

- समान कार्यों को वित्तपोषण के बहु-स्रोतों के तहत एक से अधिक बार लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि मूल कार्यों के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रणों को पर्याप्त रूप से लागू व उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.2.1.2)

- उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति न प्रदान करने के कारण ₹ 14.26 करोड़ की लागत से निर्मित मार्ग / सेतुओं की 169 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में से ₹ 5.81 करोड़ लागत की 98 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अप्रयुक्त रहीं।

(प्रस्तर- 3.2.1.3)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- आपदा से क्षतिग्रस्त के रूप चिन्हित 2,400 किमी राज्य राजमार्ग / प्रमुख जिला मार्ग / उत्तराखण्ड राज्य मार्ग सुधार कार्यक्रम मार्ग और 16 सेतुओं के सापेक्ष, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-मार्ग और सेतु (प क्रि इ - मा और से) [उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प)] द्वारा केवल 1,968.11 किमी (82 *प्रतिशत*) सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य लिये गये और कोई सेतु का काम नहीं लिया गया। इसी प्रकार, कुल चिन्हित क्षतिग्रस्त 4,715 किमी अन्य जिला मार्ग (अ जि मा) /ग्रामीण मार्ग(ग्रा मा) / पैदल मार्ग और 140 सेतुओं के सापेक्ष प क्रि इ -

मा और से [उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी प्रोजेक्ट (उ आ रि प)] द्वारा केवल 1,711.49 किमी अ जि मा / ग्रा मा (36 *प्रतिशत*) और 25 सेतुओं (18 *प्रतिशत*) के पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था। इन दो वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन (मार्ग: 48 *प्रतिशत* और सेतु: 84 *प्रतिशत*) अनियोजित / अयोग्य कार्यों के निष्पादन, कार्यों का अधिक आगणन, अनुबंध प्रबंधन की कमी के कारण अधिक व्यय और कार्यों के निष्पादन में अधिक विचलन के कारण हुआ। वि आ स - पु वित्तपोषित मार्गों के आच्छादन में कोई कमी नहीं थी।

(प्रस्तर- 3.2.2.5)

- प क्रि इ (स और से) उ आ स प द्वारा सभी निर्धारित कुल 110 कार्यों को मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया गया जबकि प क्रि इ (स और से) उ आ रि प ने मार्च 2018 तक 262 कार्यों में से मात्र 187 कार्य (71 *प्रतिशत*) पूरा कर सकी। लो नि वि के क्षेत्रीय खण्ड वि आ स - पु वित्तपोषित 525 कार्यों में से मार्च 2018 तक 499 कार्य (95 *प्रतिशत*) पूर्ण कर सके जो कि मार्च 2017 तक पूर्ण किए जाने निर्धारित थे।

(प्रस्तर- 3.2.2.1)

- विभागीय प्रावधानों / स्थायी आदेशों / तकनीकी विनिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 28 मार्ग और पाँच सेतु कार्यों में ₹ 58.52 करोड़ का अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर- 3.2.2.2)

पर्यटन बुनियादी ढाँचा

पर्यटन उत्तराखण्ड में अर्थव्यवस्था और आजीविका के स्रोत का एक प्रमुख कारक है और यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 22.48 *प्रतिशत* योगदान देता है। आपदा ने पूर्ण रूप से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के प्रवाह पर निर्भर लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पर्यटन विभाग (प वि) उ स के अनुसार, सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की अनुमानित भौतिक क्षति पूरे राज्य के लिए ₹ 116.61 करोड़ और अति प्रभावित पाँच जिलों में ₹ 85.30 करोड़ थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिये ₹ 809.64 करोड़ की माँग की (सितंबर 2013)। इस प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चार धाम यात्रा की सुविधा के लिए नई परियोजनायें और आपदा तैयारी में सुधार के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार शामिल था। इस माँग के सापेक्ष, म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 894.03 करोड़ (वि आ स - पु : ₹ 455.09 करोड़, वा स यो - उ आ स प: ₹ 336.54 करोड़ और के पो यो - पु : ₹ 102.40 करोड़) अनुमोदित थे।

(प्रस्तर- 3.3)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- निर्दिष्ट अभिकरणों (गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल विकास निगमों) द्वारा पर्यटक बुनियादी संरचना के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्य रिपोर्टों और मास्टर प्लानों के अध्ययन और तैयारी का कार्य नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.3.2.1)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- पाँच अति प्रभावित जिलों में पर्यटक आवासों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के निर्दिष्ट उद्देश्यों को संपूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा मार्च 2018 तक कुल स्वीकृत 290 हटों (उ आ स प के तहत वित्तपोषित) और 120 कॉटेज (वि आ स - पु के तहत वित्तपोषित) में से क्रमशः मात्र 282 (97.20 *प्रतिशत*) फाइबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर हट और 92 (76.70 *प्रतिशत*) कॉटेज पूर्ण किये गये थे।

  इसके अलावा**,** श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के मरम्मत कार्यों में मात्र 71 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति और 68 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति प्राप्त की जा सकी।

  (प्रस्तर- 3.3.1.1 & 3.3.2.2)

- म और दी पु के उ आ स प घटक के तहत, उत्तराखण्ड की आपदा से निपटने की तैयारी की दिशा में पाँच हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 3,550 क्षमता की 37 बहुउद्देशीय हॉल (ब हॉ) / आश्रय बनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, कोई हेलीड्रोमस या हेलीपोर्टस नहीं बनाये गए और 34 हैलीपैड्स में से 07 हैलीपैड्स भूमि की अनुपलब्धता और अभिगम्यता के मुद्दों के कारण निरस्त कर दिये गये। इसके अलावा, नोडल एजेंसी द्वारा भूमि की अनुपलब्धता एवं पूर्व चयनित स्थानों पर हैलीपैड्स के निर्मित न होने के कारण कोई ब हॉ / आश्रय नहीं बनाया गया है। मार्च 2018 तक 26 हैलीपैड्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और सहस्त्रधारा, देहरादून स्थित एक हैलीपैड का निर्माण प्रगति पर था।

  (प्रस्तर- 3.3.3.1)

- सोनप्रयाग (रुद्रप्रयाग) में एक बहुउद्देशीय हॉल (₹ 65.00 करोड़) का निर्माण कार्य जिसका उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं को प्रदान करना और श्री केदारनाथ धाम की तीर्थयात्रा को विनियमित करना था, सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्य को न किये जाने के कारण स्वीकृति की तिथि से चार वर्ष बाद भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

  [प्रस्तर- 3.3.1.1 (अ)]

- केदारनाथ शहर में तीर्थ पुरोहितों के लिए वि आ स - पु के तहत ₹ 38.63 करोड़ की लागत से स्वीकृत 113 घरों में से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (ने प सं) द्वारा मात्र 40 घरों का निर्माण कार्य किया गया। स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी भी घर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। सरकारी प्राधिकारी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / आरेखण और लाभार्थियों के साथ अनुबन्ध को अंतिम रूप न देने, भूमि आवंटित न किये जाने के कारण शेष 73 घर के कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके थे। इसके अतिरिक्त, केदारनाथ शहर में निर्माण के लिये स्वीकृत तीन सेतुओं (जून 2015) में से, मार्च 2018 तक ने प सं द्वारा मात्र एक सेतु (₹ 1.98 करोड़) का निर्माण किया गया था।

  [प्रस्तर- 3.3.1.1 (ब)]

- उ आ स प के अधीन कुमाऊं मण्डल विकास निगम और प क्रि इ नागरिक उड्डयन के चार कार्यों का आगणन अधिक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 3.92 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(प्रस्तर- 3.3.2.2, 3.3.3.2)

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

सिंचाई विभाग के अनुसार आपदा ने राज्य में विद्यमान कुल 11,702 किमी लंबाई में से 495 किमी के नहर कार्यों को क्षति पहुंचायी थी। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 74 किमी लंबाई के 508 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का), 60 लिफ्ट नहर योजनाएं, 53 नलकूप, 02 झीलें, 01 बैराज और 12 भवनों की पहचान भी 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त के रूप में की गयी थी। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भारत सरकार से इस क्षेत्र के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत ₹ 1,062.12 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने के पो यो - पु के अधीन मात्र ₹ 79.52 करोड़ (₹ 940.21 करोड़ के परिव्यय के सापेक्ष) जारी किये।

(प्रस्तर - 3.4)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए विभाग द्वारा मात्र बाढ़ सुरक्षा के कार्य (बा सु का) प्रस्तावित किये गये थे, जबकि क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, लिफ्ट नहर योजनाओं, नलकूपों, झीलों, बैराज और भवनों के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था जिससे स्थानीय जनता आजीविका के मुख्य स्रोत के सहयोग के उद्देशीय लाभ से वंचित रही।

(प्रस्तर- 3.4.1.1)

- अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 74 कार्यों में से छ: बा सु का कार्य (₹ 64.28 करोड़) जून 2013 की आपदा से पहले की अवधि से संबन्धित थे। ये छ: बा सु का या तो पहले से ही विभाग के पास विचाराधीन थे या जून 2013 की आपदा से पहले ही विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति के वांछित अनुमति की प्राप्ति के उपरान्त स्वीकृत होने की प्रक्रिया में थे।

(प्रस्तर- 3.4.1.1)

- ₹ 125.52 करोड़ लागत के दो कार्यों को सिंचाई विभाग के के पो यो - पु कार्यों के अन्तर्गत शामिल किया गया था, जो विद्युत क्षेत्र [उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) के मनेरी-भाली चरण-I और II जल विद्युत परियोजनाओं] से संबन्धित थे।

(प्रस्तर- 3.4.1.2)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- 77 बा सु का स्वीकृत किये गये थे, सिंचाई विभाग द्वारा जिनमें से 45 कार्य (58 *प्रतिशत*) पूर्ण किये जा चुके थे, 20 कार्य (26 *प्रतिशत*) भा स द्वारा के पो यो - पु की धनराशि कम निर्गत किये जाने के कारण बाधित थे। वि आ स - पु के 12 कार्य (16 *प्रतिशत*) प्रगति में थे क्योंकि ये कार्य उ स द्वारा जुलाई 2017 में स्वीकृत किए गए थे।

(प्रस्तर- 3.4)

- 20 बा सु का (₹ 187.73 करोड़) के अनुबंधों को आवश्यक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया (ई-निविदा) को अभिग्रहण किये बिना 1,215 अनुबंधों में विभाजित किया गया था, जिसमें 193 अनुबंध (₹ 39.73 करोड़) वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन कर 56 व्यक्तिगत ठेकेदारों को प्रदान किया गया था।

(प्रस्तर- 3.4.2.1)

विद्युत एवं ऊर्जा

यह आपदा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) की 553.85 मेगावॉट क्षमता वाले 13 संचालित / परिचालनरत लघु और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) की 126 गाँवों / बस्तियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाले 46 लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प) जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 6.47 मेगावॉट थी, की व्यापक क्षति का कारक बनी। विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र की अनुमानित क्षति ₹ 151.80 करोड़ थी जिसके सापेक्ष भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ (यू जे वी एन एल: ₹ 32.40 करोड़, उरेडा: ₹ 17.60 करोड़ यू पी सी एल: ₹ 50 करोड़) इस शर्त के साथ अनुमोदित किए गए थे कि यू जे वी एन एल (₹ 47.60 करोड़) और उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) (₹ 4.20 करोड़) की शेष आवश्यकता को बाजार स्रोतों से उठाया जाना चाहिये क्योंकि ये विद्युत इकाईयां वाणिज्यिक संस्थायें हैं। हालांकि, यू जे वी एन एल (₹ 57.72 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 60.60 करोड़) के सम्बन्ध में उ स द्वारा वास्तविक आवंटन अधिक था।

(प्रस्तर-3.5)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- यू पी सी एल के एक विद्युत वितरण खण्ड (उत्तरकाशी) ने 11 के वी लाइनों के पाँच क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापना के लिये जिलाधिकारी-उत्तरकाशी से राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 36.56 लाख इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किये कि इनके प्रस्ताव वि आ स - पु के अन्तर्गत शामिल थे। इसी तरह, 46 ल ज वि प की बहाली हेतु वि आ स - पु के अन्तर्गत पूर्ण अनुमोदित परिव्यय (₹ 17.60 करोड़) की स्वीकृति के बावजूद, यूरेडा ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी एच डी सी) इंडिया लिमिटेड (केंद्रीय-सा क्षे इ) से 25 ल ज वि प के लिए ₹ 181.24 लाख वापस न किए जाने योग्य अतिरिक्त धनराशि और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि के

अन्तर्गत सम्बन्धित जिला प्राधिकरणों से 11 ल ज वि प के लिए ₹ 91.73 लाख की धनराशि प्राप्त की। बहु-स्रोतो से वित्तपोषण व स्वीकृत राशियों के सापेक्ष कार्यों के कम लागत में पूर्ण होने की वजह से ₹ 2.45 करोड़ (उरेडा द्वारा ₹ 0.92 करोड़ और यू पी सी एल द्वारा ₹ 1.53 करोड़) की बचत हुई ये बचतें अभी तक भा स / उ स को समर्पित नहीं की गयी।

(प्रस्तर- 3.5.1.1)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- यू जे वी एन एल द्वारा 13 बड़े एवं छोटी ज वि प में से छः ल ज वि प के पुनर्निर्माण कार्यों को उरेडा को हस्तांतरित कर दिया गया। शेष सात में से चार ज वि प को यू जे वी एन एल द्वारा पुनर्स्थापित किया जा चुका था। उरेडा द्वारा 52 ल ज वि प (यू जे वी एन एल से हस्तांतरित छः को सम्मिलित करते हुये) में से 46 ल ज वि प को पुनर्स्थापित किया गया। राज्य सरकार द्वारा यू जे वी एन एल को ₹ 25.32 करोड़ के अतिरिक्त धन आवंटन के बावजूद यू जे वी एन एल द्वारा 5.45 मेगावॉट के तीन ज वि प और उरेडा द्वारा 4.8 मेगावॉट के चार ज वि प के पुनर्स्थापन कार्य अभी तक पूर्ण / आरम्भ नहीं किए गए थे। उरेडा द्वारा दो ल ज वि प के पुनर्निर्माण कार्य का परित्याग किया जा चुका है।

(प्रस्तर- 3.5.2.1)

- 33 / 11 के वी उप-स्टेशन कर्मी (बागेश्वर) से 11 के वी लाइन का निर्माण कार्य तीन वर्षों के उपरान्त व ₹ 2.15 करोड़ व्यय के बावजूद भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर- 3.5.2.3)

लोक भवन

आपदा में 995 लोक भवन क्षतिग्रस्त (212 पूर्ण और 783 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त) थे जिनमें से 836 आंशिक / पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों [उ आ रि प के तहत 21 शासकीय भवन जहाँ एक समर्पित प क्रि इ स्थापित थी, वि आ स - पु के तहत 32 औ प्र सं भवन, स शि अ (के पो यो) के तहत 736 विद्यालय भवन, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (के पो यो) के तहत 47 भवन] के पुनर्निर्माण को म और दी पु के अन्तर्गत योजनाबद्ध / स्वीकृत किया गया था।

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- निर्माण के लिए चिन्हित किये गये 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ प्र सं) भवनों में से ₹ 36.62 करोड़ लागत की केवल 22 औ प्र सं भवनों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दी गई और शेष 10 औ प्र सं भवनों (₹ 13.38 करोड़) के लिए उ स द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई थी।

(प्रस्तर- 3.6.1.1)

- के पो यो - पु (सर्व शिक्षा अभियान- स शि अ) के अधीन स्वीकृत, 63 स्कूल भवन (क्षतिग्रस्त दिखाये गए 114 स्वीकृत स्कूलों भवनों में से) वास्तव में 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त ही नहीं थे।

(प्रस्तर- 3.6.1.2)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- 22 औ प्र सं भवनों में से, सात औ प्र सं भवनों का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु उनके स्थल विकास कार्य धन की माँग के कारण लम्बित थे, भूमि की अनुपलब्धता / स्थानीय जनता के अवरोध के कारण तीन भवनों के निर्माण कार्य रुके थे और नौं औ प्र सं भवन निर्माणाधीन थे। तीन भवनों को अभी तक शुरू नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.6.2.1)

- उ आ रि प के अंतर्गत पुनर्निर्माण हेतु लिए गए 21 भवनों में से प क्रि इ द्वारा मात्र छः भवनों (₹ 8.08 करोड़) के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सका और 13 कार्य (₹ 45.29 करोड़) 10 से 83 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे। एक औ प्र सं भवन का कार्य अभी तक अनारम्भ था और खाद्य भण्डार के निर्माण का एक कार्य ₹ 1.67 करोड़ व्यय के उपरान्त रुका हुआ था।

(प्रस्तर- 3.6.2.2)

रिहायशी आवास

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के अन्तर्गत, स्वामित्व चलित आवास निर्माण (स्वा च आ नि) के अन्तर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा) की सिफारिशों पर, 2,488 लाभार्थियों का भुगतान संबन्धित का क्रि इ द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया था। सभी 2,488 स्वा च आ नि पूर्ण हो चुके थे।

- कुल 2,488 लाभार्थियों में से 136 लाभार्थियों के पास उनके नाम से भूमि का मालिकाना हक नहीं था जो योजना के प्रावधानों के खिलाफ था।

(प्रस्तर- 3.7.1)

- यद्पि राज्य सरकार ने स्वा च आ नि के निर्माण के लिए 127 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की क्योंकि उनकी भूमि घरों के निर्माण के लिए सुरक्षित नहीं थी, क्षतिग्रस्त संपत्ति / घरों को राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया गया था, जो कि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक था।

(प्रस्तर- 3.7.2)

कृषि और मृदा संरक्षण

राज्य सरकार ने मृदा संरक्षण कार्यकलापों और बाढ़ से बहे कृषि भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ का अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। विभाग ने निर्गत धनराशि से ₹ 13.49 करोड़ के 241 भूमि संरक्षण कार्यों और ₹ 0.51 करोड़ की लागत के चार विभागीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों को निष्पादित किया 31 मार्च 2018 तक विभाग द्वारा सभी कार्यों को पूर्ण किया जा चुका था।

- विभाग द्वारा हालांकि सभी मृदा संरक्षण कार्यों को बिना निविदा प्रक्रियाओं के अनुपालन किए निष्पादित करवाया गया था। यह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के विरुद्ध था जो प्रावधानित करती है कि तीन लाख से अधिक लागत के सभी कार्यों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित करवाया जाना चाहिए।

(प्रस्तर- 3.8)

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

ए वि बैं-उ आ स प के अंतर्गत, जल-स्रोत से जल भंडारण / वितरण टैंक को आपूर्ति वाली क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजना के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए नौं शहरों की 12 पेयजल परियोजनायें ली गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इन 12 परियोजनाओं का चयन नगरों / कस्बों को की जाने वाली जलापूर्ति की मात्रा की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु किया गया था। मात्रा एवं गुणवत्ता रिपोर्ट से देखा गया था कि जलापूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्वीकृत डिज़ाइनों के मानक के अनुरूप थी। साथ ही, जलापूर्ति की निगरानी खण्डीय स्तर के साथ-साथ उत्तराखण्ड जल संस्थान के देहरादून मुख्यालय स्थापित / प्रदर्शित आनलाईन पर्यवेक्षण नियन्त्रण व डाटा प्राप्ति प्रणाली के द्वारा की जा रही थी।

(प्रस्तर- 3.11)

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण

- निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के कारण 12 कार्यों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी पाया गया।

(प्रस्तर- 4.3.2)

- सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का त्रिपक्षीय गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन राज्य सरकार की सूचीबद्ध अभिकरण से नहीं कराया गया था, जो कि उ स द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक था।

(प्रस्तर- 4.3.3)

- मार्ग कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि लो नि वि के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा म और दी पु के अन्तर्गत निर्मित कुल 296 में से 181 कार्यों (61 *प्रतिशत*) को निम्न गुणवत्ता (असंतोषजनक / सुधार आवश्यक) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

(प्रस्तर- 4.3.4)